4.00 P.M.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 2005-06

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं वर्ष 2005-06 वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) को दर्शानेवाला एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ। [Placed in Library. *See* No. LT. 3725/06]

GOVERNMENT BILL

The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Bill, 2005 - *Contd.*

श्री उपसभापति : श्री रुद्रनारायण पाणि।

श्री रुद्रनारायण पाणि : धन्यवाद, उपसभापति महोदय, अमेरिकी पूँजीवादी अर्थ नीति का विरोध करते हुए इस सदन के हमारे वामपंथी भाई और समाजवादी पार्टी के सदस्य जब अनुपस्थित थे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह तो पेट्रोलियम बिल है...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, यह जो बिल है, यह जो विधेयक है, अमेरिकी अर्थ-नीति का इस देश में जो दुष्प्रभाव है, यह इस बिल की एक-दो धाराओं को प्रभावित करता है। एन.डी.ए. द्वारा यह बिल लाया गया था और आज यू.पी.ए. इसको फिर से पेश करके इसे पास कराने जा रहा है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) पीठासीन हुए।]

महोदय, विषय यह है कि जिस प्राइवेटाइजेशन की, निजीकरण की अर्थनीति के कारण एन.डी.ए. या राजग हार गया या इसको प्रचारित करके कि यह राजग की त्रुटि थी, बाद में संप्रग बना और राजग को हराया गया। इस प्रकार का प्रचार किया गया कि अपनी गलत अर्थ नीति या रौंग इकोनॉमिक्स के कारण हम लोग हारे। किन्तु सरकार की ओर से जो विधेयक पेश होता है, यही नहीं बल्कि कई ऐसे हुए हैं, जो पूंजीवादी अर्थनीति के होते हैं। हमारे वामपंथी भाइयों को सदन में अपनी बात रखते हुए इस प्रकार के विधेयकों की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर उनका विरोध करना चाहिए, नहीं तो अगर गलत आर्थिक नीति के कारण राजग चुनाव हारी है तो इस प्रकार का काम अगर संप्रग कर रही है, तो फिर पांच साल में से दो साल तो गए, धीरे धीरे फिर उनका भी वही समय आ रहा है।

महोदय, यह जो बोर्ड आप बनाने जा रहे हैं, इसमें अधिकारों का संकीर्णीकरण किया जा रहा है, इसको देखना होगा। ऐसा ही एक विषय मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूँ, जो इस विधेयक के साथ मिला हुआ विषय है, मैंने 17 तारीख को इस मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय से कहा था कि आप हमारे उड़ीसा के साथ एक साजिश जैसा काम कर रहे हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो एक पब्लिक सेक्टर है, इस सरकार की नीति के कारण पब्लिक

सेक्टर को आप क्लोज करना चाहते हैं। मैं वामपंथी मित्रों को यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो राजग की ओर अंगुली दिखा रहे थे कि राजग प्राइवेटाइज कर रही है, तो आज संप्रग क्या कर रहा है? संप्रग बुश के इशारे पर इस देश की अर्थनीति को किस प्रकार से निजीकरण की ओर ले जा रहा है? इस पर वामपंथी मित्र क्या कर रहे हैं? देश के विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण के नाम पर ये लोग निजीकरण कर रहे हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ साजिश हो रही है। हमारे उड़ीसा के भुवनेश्वर में ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक शाखा है, जिसमें 35 लोग कार्यरत हैं, उनमें से 15 लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर दिया है। इसमें हमारे मजदूरों का सवाल है, कर्मचारियों का भी सवाल है, एक प्रकार से ट्रेड यूनियन का सवाल है। इसमें आप स्वीपर का ट्रांसफर करते हैं, मैसेंजर का आप ट्रांसफर करते हैं। और, ये ट्रांसफर आप कहां करते हैं? उत्पादग्रस्त क्षेत्र में आप उनका ट्रांसफर करते हैं, ताकि एम्लाइज वहां न जाएं और यह शाखा बंद हो जाए।

महोदय, एक तो उड़ीसा एनडीए शासित राज्य है और आप चाहते हैं कि उड़ीसा को नुकसान पहुंचाओ, दूसरा अमरीकी पूंजीवादी अर्थनीति के आधार पर पब्लिक सेक्टर को मारो। आपने कई बार कहा कि हम पब्लिक सेक्टर को सुरक्षा देंगे, लेकिन आपकी अर्थनीति से पब्लिक सेक्टर को मारने की एक पूरी झलक दिखाई देती है। आपको इसके प्रति ध्यान देना होगा। हमारे यहां पारादीप ऑयल रिफायनरी, जो माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय से शुरू हुई थी, उस पारादीप ऑयल रिफायनरी के काम का आप क्या कर रहे हैं? और, क्या आप पारादीप हल्दिया पाइपलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं? हमारे वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी अत्यंत शांतिप्रिय हैं और उनके कार्यों के कारण वे काफी लोकप्रिय भी हैं। चूंकि वहां के मुख्यमंत्री शांतिप्रिय हैं, क्या इसीलिए आप उनके साथ भेदभाव करेंगे? क्या पारादीप ऑयल रिफायनरी का काम आप आगे नहीं बढ़ाएंगे? हल्दिया तक पाइपलाइन करके क्रूड वहां तक लेंगे? इसे हम होने नहीं देंगे।

महोदय, यह जो राजग लाया था, एनडीए लाया था, यूपीए गवर्नमेंट उसका समर्थन कर रही है। यह विधेयक पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, जो आप देश भर में भाषण देकर लोगों को बताते रहे कि यह राजग की गलत अर्थनीति है, राजग अमरीकावादी है, यूएसए की तरह कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है, तो आज क्या होने जा रहा है? इसलिए आज वामपंथी भाइयों को भी सोचना होगा कि किस प्रकार की साजिश करके ये लोग पब्लिक सेक्टर को बंद कर रहे हैं? आप नए पब्लिक सेक्टर नहीं खोलेंगे, तो मत खोलिए, लेकिन जो हैं, उनमें जो वर्क कल्चर की बढ़ोतरी होगी, उसको आपको देखना होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : पाणि जी, आपने बहुत अच्छा बोला। अब समाप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण पाणि : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने मांग भी करता हूं और उनसे यह दरख्वास्त भी करता हूं कि कम से कम भुवनेश्वर की ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो शाखा है, उसके प्रति वे ध्यान दें। उसके सफाई कर्मचारी, क्लर्क, मैसेंजर, इन लोगों का स्थानांतरण न हो और इन लोगों को वहां से हटाने की साजिश न हो, इसको वे देखें।

महोदय, महानदी बेसिन में ऐक्सप्लोरेशन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को काम दिया गया था, लेकिन डायरेक्टर लैवल पर, मैनेजर लैवल पर उसका साबोटेज होता है। प्राइवेट कम्पनियां वहां जाकर, सर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्राइवेट कम्पनियां वहां ऑयल ऐक्सप्लोरेशन में सफलता अर्जित करती हैं, लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड सफलता अर्जित नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? अगर आप इस बारे में वहां के पीअन, मैसेंजर, स्वीपर से जाकर पूछेंगे तो आपको सत्य की जानकारी मिल जाएगी कि कैसे डायरेक्टर और मैनेजर लैवल पर साबोटेज हो रहा है।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, he is referring to Oil India Limited. What is Oil India Limited?

श्री रुद्रनारायण पाणि : यह ऑयल इंडिया लिमिटेड है। जैसे आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, मैं भी वैसे ही काफी ऊंची आवाज में बोलता हूं। आपकी भी काफी बात को हम समझ नहीं पाते हैं।

महोदय, मेरी बात हो गई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

SHRI R.P. GOENKA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand here to support this Bill. However, I have a few observations for the hon. Ministers. I will not go into many details of various Clauses. But, I would like to bring three or four points, though you, to the notice of the hon. Minister.

My first point is, one or two speakers who have spoken before me mentioned about the composition of the Board. I will take you two years back when in a State, a retired person, who was favourite to the Chief Minister, was put on the Board of the State Electricity Board. That is the reason why we are having such a dismal situation of the State Electricity Board. Of course, now, it has been corrected. But, for years, we have suffered. Therefore, my suggestion would be that we should go by the ability of any retired bureaucrat or a retired politician. He should not be discarded just because he is a bureaucrat. At the same time, just because he is a bureaucrat he should get a position for next three or five years is also a wrong thing. I think, this was the point made by Dipankar babu. रिटायर्ड लोगों को नहीं लाने का, अगर ऐफिशिएंट नहीं है तो।

The second point is this. This has also been mentioned by Dipankar babu. It is about accountability. I could not find anything about accountability in this Bill. Sir, for 4 - 5 years, a Chairman is elected or selected. And, if he is not up to the mark, but he is honest, two qualifications, inefficiency and honesty going together, what remedy do we have in this Bill? I am borrowing points. I am among the last speakers, so,

many of my points have already been made. ...*(Interruptions)*... No, they are not stolen. I am not stealing them from my previous speakers. I am not Santosh Bagrodia. वह अभी यहां पर नहीं हैं।

Sir, my second and very important point is that there should be equitability in distribution or allocation of gas or oil. Our country has a federal system. If gas is found in Godavari, then, Andhra Pradesh people say that our gas is going to Gujarat. Gujarat is a part of India. All the gas should not be consumed by Andhra Pradesh. So, this body should try to see that equitable distribution takes place and if the need in South India is more, we should allocate more to South India. But just because it is found in South India, it should go to South India, that cannot be the argument.

Sir, a point about adulteration was again raised. I am referring to Shri Dipankar babu and Shri Santoshji, who also mentioned about adulteration. Sir, it is common knowledge. I am not saying anything new. Naphtha is mixed in petrol and petrol is mixed in kerosene. There is adulteration in the system. I agree that it is not from the refinery that the adulterated product comes. But from refinery to oil outlet, somewhere it gets adulterated. I disagree with Shri Santosh babu. He said that his car got stuck and petrol was used and water was left behind. Sir, this is not possible.

श्री दीपांकर मुखर्जी : वह कहां चले गए हैं?

श्री आर. पी. गोयनका : मैं कहां चढ़ रहा हूं, मैं तो बहुत ही संतोष से बोल रहा हूं।

Adulteration is there, whether it is 5 per cent or 20 per cent. It is not possible for water to be used in adulterating petrol or kerosene. Something inflammable has to be mixed and it does take place. This Committee can take note of it. शॉर्टेज है, देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है, यह आप भी जानते हैं, मंत्री जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जहां शॉर्टेज होगी, वहां पर थोड़ा-बहुत ब्लैक मार्केट या प्रीमियम, अच्छे शब्दों में इसे प्रीमियम कह दीजिए और खराब शब्दों में ब्लैक मार्केट् कह दीजिए, it does take place. सर, एक पोइंट और आपके सामने कहना चाहता हूं। यह जो चेयरमैन को पांच साल की अवधि दी गई है, यह कुछ लम्बी लगती है। आप तीन साल का दीजिए, renewal again for three years, I have no objection. Fifteen years is too long a period for a person to sit on a particular job. नहीं तो फिर कोई, आप माफ करिएगा, ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : राज्य सभा में पांच साल है और लोक सभा में भी पांच साल है।

श्री आर. पी. गोयनका : राज्य सभा में छः साल है लेकिन इसके बाद दूसरा छः साल कैसे मिले, इसी के लिए मारा-दौड़ी आजकल चल रही है। सर, मैं माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं, उनको कम्पलीमेंट देना चाहता हूं कि वे इतना अच्छा बिल हाउस के सामने लाए, बहुत अच्छा बिल है। इसमें जो बहुत-सी कमजोरियां थीं उनकी तरफ ध्यान देकर इन्होंने यह बिल बनाया है। कंसलटेटिव कमेटी या पुरानी सरकार ने इसमें कितना सहयोग दिया था, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। कन्ट्री का काम हो और आज के दिन यह बिल आने से बहुत कुछ कमियां उससे दूर हो जाएंगी। लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिवली या अमेंडमेंट लाकर मंत्री जी उसको ठीक करेंगे। यह तो उनका विषय है, उनका डिसीजन है, सर। मुझको कहा गया था कि पन्द्रह मिनट का समय है। लेकिन अभी सिर्फ 12 मिनट ही हुए हैं। इन तीन मिनट में मैं क्या बोलूं। आपकी तारीफ कर दिया, बस।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : आप बोल सकते हैं।

श्री आर. पी. गोयनका : सर, मेरे पास पोइंट नहीं हैं।...**(व्यवधान)**... मुरली जी की तारीफ कर दी, यह ही बहुत है। किसी के अगेंस्ट बोलना तो उचित नहीं है। धन्यवाद, सर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2005 पर मुझे बोलने की आपने जो अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस पर लम्बी बात नहीं करनी है, केवल दो बिन्दुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मिलावट के बारे में यहां बहुत चर्चा हुई है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो मिलावट के आंकड़े हैं और मिलावट से जो सीधा-सीधा उपभोक्ता संबंधित है और जिसका भयंकर रूप से शोषण हो रहा है, इसकी ओर आपके माध्यम से, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो चालीस हजार करोड़ रुपए का घोटाला इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिलावट के माध्यम से होता है। आठ से दस हजार करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होता है और शेष जो घोटाला होता है, वह सीधा-सीधा उपभोक्ता के ऊपर जाता है। विनियामक बोर्ड बनाने की बात यहां पर कही गई। मेरी चर्चा हो रही थी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अध्यक्ष महोदय से। जब मैंने उनसे पूछा, तो वे कहने लगे - चतुर्वेदी जी, बहुत कोशिश के बावजूद भी इस मिलावट में किसी प्रकार की कमी नहीं होने जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने नियामक बनाए, आपने उनको अधिकार भी दिए, उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए, तो कृपया इस बात को देखने का कष्ट करें कि जब भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अध्यक्ष ने हाथ ऊंचे कर दिए कि यह मामला चलेगा, इसको कम करना थोड़ा बहुत तो संभव है, किंतु मिटाना बिलकुल संभव नहीं है, इस प्रकृति से चलेगा, तो भारत देश निश्चित रूप से और देशों की पंक्तियों में कहां खड़ा होगा?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, केरोसिन मिलाया जाता है डीज़ल में। Hexane, Benzene, Pentane, C-9, जो उपलब्ध हैं, इनको लगातार गैसेज में और इन सारे प्रोडक्ट्स में मिक्स किया जाता है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि विश्व में और देश में टेक्नालॉजी किस स्थान पर पहुंच गई है। जिस पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल लेते हैं, उपभोक्ता पेट्रोल लेता है, क्या वहां कोई इस प्रकार की स्थिति बनाकर, कोई ऐसी मीटरिंग नहीं बनाई जा सकती, जिससे सीधा-सीधा उपभोक्ता को यह बात ज्ञात हो

सके कि मुझे जो पेट्रोल मिल रहा है, डीज़ल मिल रहा है, क्या वह मिलावट का मिल रहा है? कई तरह की पद्धतियां बनाईं। यह ठीक है कि जिन निजी कंपनियों को दिया है, उन्होंने कुछ प्रयास करने की कोशिश की है और सीधा-सीधा हिसाब-किताब वे मुम्बई से रखते हैं, किंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, राज्य मंत्री महोदय, कि आपने जो नियामक बनाया है, इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार कीजिए और यह जो मिलावट नाम की वस्तु है, जिसके कारण इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, इसको कंट्रोल करने की बात कीजिए। ऐसा कहा गया कि मिलावट स्रोत पर नहीं होती, लेकिन स्रोत पर भी होती है। परिवहन पर भी होती है, खुदरा विक्रेता के यहां भी होती है। तीनों बातों पर कंट्रोल करने की जो पद्धति है, जो टेक्नालॉजी है, उसका विकास किया जाना चाहिए और उसके आधार पर उपभोक्ता के कंधे पर भार पड़ता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यू.पी.ए. सरकार आने के बाद कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गईं, किंतु जिस तरह पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, सामान्य उपभोक्ता की क्या हालत होगी, उसका आभास तो होने दो। आज यह बनाया है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर हो गई। अब ये तय करेंगे कि कीमतें क्या होंगी? सीधी-सीधी जिम्मेदारी, जो केंद्र सरकार की थी, उसे इस नाते से मुक्ति मिल जाएगी। अभी दीपांकर महोदय ठीक कह रहे थे कि कहीं न कहीं responsibility फिक्स करने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं उत्तरदायित्व बनाने की जरूरत है। सरकार responsible है संसद के प्रति, सांसद responsible है जनता के प्रति, जनता का रोष सहना पड़ता है, तो इनको सहना पड़ता है। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि इस प्रकार के नियामक बनाकर अपनी ड्यूटीज़ को शिफ्ट करने वाली बात होती है। नियामक बन गया, कीमतें तय हो गईं, यह बात सच है कि यह जब आपके पास आएगी, तो आप कहोगे कि हम क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उन्होंने देखीं, और भी बातें उन्होंने देखीं, हर प्रकार की बातों का विचार किया। अभी शायद बजट सेशन के बाद हमको फेस करना पड़ेगा, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है, कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें और बढ़ाई जाएंगी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो सीधे-सीधे बच गई, क्योंकि, क्या करें भाई, एक्सपर्ट बॉडी है, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को पहचानते हैं, जानते हैं, लोगों की सब प्रकार की बातों का उनके मन में विचार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार कीजिए, जैसा कि दीपांकर महोदय ने कहा कि या तो वे जिम्मेदार हों संसद के लिए भी और जनता के लिए भी। जिम्मेदार बन जाएंगे, तो फेस तो करना ही पड़ेगा सरकार को और सरकार कह देगी, हम क्या कर सकते हैं एक्सपर्ट लोगों ने इस प्रकार की स्थिति बनाई है, उन्होंने यह बात कही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दूसरे गंभीर विषय पर भी विचार करिए। हमारे यहां मारवाड़ी में एक कहावत है, 'घणा पटेला बगड़े गांव। ' आज-कल जो नए कारपोरेशन चलाने की पद्धति चल पड़ी है, मैं पूछना चाहता हूं कि इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा? आपने उनको बहुत से काम दिए हैं। यह धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते इतना बड़ा विभाग बन जाएगा कि पैट्रोलियम विभाग के पैरेलल एक विभाग बन जाएगा। यह जो नई पद्धति चल पड़ी है, इस पर जरूर विचार करिए। आपने जिस प्रकार से काम बांटे हैं, इनकी पूर्ति करने लिए आप कहां से लोग लाएंगे? इन सबके लिए कितना Infrastructure चाहिए और कितना paraphernalia चाहिए और इसको कौन सहन करेगा, इसको देश की जनता सहन करेगी। कर किससे वसूला जाएगा, देश की जनता से वसूला जाएगा। मेरा तो आप से यह निवेदन है कि आप

इस पर विचार करिए। मैं वैसे तो इस बात का पक्षपाती हूं कि काम को करने की दृष्टि से कोई न कोई विचार करके किया जाए। आप इन नियामकों के आधार पर एक नई फौज खड़ी करेंगे तो यह एक exchequer पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। इस नाते से केन्द्र सरकार जरूर विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड अन्य कामों के अलावा उपभोक्ताओं के हितों का रक्षण भी करेगा और संरक्षण भी करेगा। यह नगर व स्थानीय गैस नेटवर्क को बैठाने, निर्माण कार्य, पर्याप्त उपलब्धता के अलावा उनकी monitoring भी करेगा। मैं इस विधेयक से संबंधित माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। महोदय, पहले एक Oil Development Board, OIDB हुआ करता था, जिसको सरकार ने समाप्त कर दिया है। इस बोर्ड और उस बोर्ड में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि यह बोर्ड स्टेटयुटरी बोर्ड है। आपने administrative price mechanism भी पहले खत्म कर दिया। अब आप उनकी कीमत निर्धारण करने तथा कीमतों के monitoring की बात कर रहे हैं। आप अपने उत्तर में हमें यह भी समझाएं कि आप उसको कैसे करने वाले हैं? पहले एक adulteration cell हुआ करता था, लेकिन अब वह नहीं है। यह उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित है, इसका महत्व क्या है, आप इसके महत्व को मुझसे अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। इसका सीधा संबंध देश से तो है ही, साथ ही मुम्बई से भी बड़ा गहरा संबंध है। जो adulteration है, इसका PDS में जो परिणाम हो रहा है, मैं इससे बहुत चिंतित हूं।

[Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

इस विधेयक की धारा, 30,31,32, 33 और 34 में अपील के निस्तारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-110 को प्रभावी बनाया गया है। विद्युत कार्य संचालन और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के कार्य-संचालन में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी में क्या असमानताएं हैं इसको लागू करने में क्या बाधाएं हैं, क्या सरकार भविष्य में अलग से कोई पेट्रोलियम और गैस Tribunal बनाने वाली है, यह भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी आपने TAP गैस पाइपलाइन समझौतों में भारत को भी एक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है, इसके लिए उन्होंने एक निमंत्रण दिया है, लेकिन हम अभी इसके नियमों और शर्तों से परिचित नहीं हैं। क्या आप पार्लियामेंट को बताना चाहेंगे कि वे शर्तें क्या हैं? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन समझौते जैसी बात होगी, जैसे ईरान-पाकिस्तान-इंडिया या म्यांमार और बंगला देश-इंडिया जैसे समझौतों पर निगरानी रखने की क्या व्यवस्था है, आप किस प्रकार से उस पर निगरानी रखने वाले हैं, उसकी शर्तें क्या होंगी?

उपसभापति जी, एक और अहम प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसी तरह अगर हम hydro-carbon fuel पर निर्भर रहे, तो एक अंतर्राष्ट्रीय अनुमान ऐसा है कि सन् 2020 में भारत अकेला 50 प्रतिशत से अधिक खपत करने वाला देश होगा। आज जिस प्रकार से विश्व स्तर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और भारत और चीन में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, क्या हम ब्राज़ील की तरह पारंपरिक ऊर्जा को अधिक विकसित करके उसका उपयोग करेंगे? आज बॉयो-डीज़ल या अन्य प्रकार से संशोधनों की व्यवस्था हो रही है, जिसके

कारण हम उनका उपयोग कर सकेंगे। आज डीज़ल के अंदर करीब 30 प्रतिशत तक यह मिलाया जा रहा है, इसकी क्या स्थिति है, यह भी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे।

उपसभापति जी, मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो विधेयक का मसौदा पहले 2002 में तैयार किया गया था, फिर 2005 में इसको बनाया गया, तो आपने पहले जो मसौदा तैयार किया था और अब जो विधेयक है, इसमें क्या अंतर है और क्या आपने निजी कंपनियों से भी चर्चा की है, आपस में उनसे पूछताछ हुई है, उन्होंने आपके इस मसौदे को कितना स्वीकार किया है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने स्वीकार किए हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जो आपने स्वीकार नहीं किए हैं, यह भी हम जानना चाहेंगे। आपने इस मसौदे में कहा है कि natural gas transmission and distribution policy guidelines के आधार पर आप regulation करेंगे, लेकिन वह regulation policy guidelines क्या हैं, यह आपने इस विधेयक में नहीं बताया है, यह हम आपसे यह जानना चाहेंगे। आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कि natural gas transmission and distribution policy guidelines क्या हैं। क्या आप guidelines बनाने के बारे में हमें यहां बताएंगे? या आप यह स्थाई समिति को बताएंगे ...(व्यवधान)... जी, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कहा कि आप स्टैंडिंग कमेटी या कंसल्टेटिव कमेटी को बताएंगे, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे?

दूसरी बात, आप चेयरमैन बनाते हैं, जिसका अभी सम्मानीय गोयनका जी ने भी जिक्र किया, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ कि 6 साल की कालावधि बहुत बड़ी होती है। 6 साल या 5 साल की अवधि बहुत बड़ी होती है। आप हाल ही में देख रहे हैं कि चेयरमैन कितने पॉवरफुल होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मंत्री को निकालते हैं, मगर कितने पॉवरफुल होते हैं। मगर हम यह जानना चाहेंगे कि उनके पॉवर्स क्या हैं, क्योंकि हम लोग जो चेयरमैन बनाते हैं, उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है? यहाँ पर जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो लोक प्रतिनिधि चुन कर आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि चेयरमैन की नियुक्ति लोक प्रतिनिधि के माध्यम से होनी चाहिए, तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि चेयरमैन की नियुक्ति में पार्लियामेंट की क्या भागीदारी होगी? जैसे नेशनल गैस ग्रिड के अन्तर्गत गेल आता है और गेल में उसके अन्तर्गत जो डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है, जैसा कि भूतपूर्व मंत्री जी ने कहा था, यह अखबारों में भी छपा था कि आज के दिन गेल को पाइपलाइन लगाने की इजाजत तब तक नहीं मिलती है, जब तक गैस की उपलब्धि डिटरमाइन न कर ली गई हो, आश्वस्त न कर लिया गया हो या उपभोक्ताओं के साथ खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर न कर लिए गए हों। भूतपूर्व मंत्री जी ने यह भी कहा था कि गेल को एक इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी होने के नाते छूट दी जाए कि वह पाइपलाइन बिछाए, जहाँ-जहाँ पर गैस हो या जहाँ पर वे योग्य समझते हों या जहाँ पर मांग हो। उसी मांग को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि गेल को हम छूट नहीं दे रहे हैं। अपना काम करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट्स के ऊपर निवेश करने की बात कही है। हमें यह डर लगता है कि जब आपकी पाइपलाइन का सन्दर्भ आएगा, तब उनके पास पूँजी नहीं रहेगी, क्योंकि पूँजी और अन्य चीजें इसमें डायवर्ट हो चुकी होगी। इसलिए मंत्री महोदय जी, मैं आपसे उपसभापति जी के माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि भूतपूर्व मंत्री ने जो एलान किया था, उस नीति पर आप कितना अमल करने वाले हैं? यदि नहीं, तो कारण बताएँ, यह भी बताएँ कि कैसे आप गेल का फिजूलखर्च बन्द करने वाले हैं और उसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं और उसे

आप पार्लियामेंट में कैसे लाने वाले हैं? मैं आपकी कार्यकुशलता से अधिक परिचित हूँ। अभी मेरे संतुष्ट होने का समय आने को है।...**(व्यवधान)**... मैंने इसलिए कहा कि मैं आपकी कार्यकुशलता से परिचित हूँ, ये कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं, संतुष्ट होने में तो अभी बहुत समय है। मुझे विश्वास है कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this is Maharashtra match fixing.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, we don't believe in any type of territories, neither we believe in State; our total belief is in Parliament and that too through you. थैंक्यू वैरी मच, सर। नारायणसामी जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री उपसभापति : श्री जयन्ती लाल बरोट। आप गुजराती में बोलना चाहते थे, unfortunately इंटरप्रिटेशन available नहीं है।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : सर, बड़े दुख की बात है। छः महीने हो गए हैं, इंटरप्रेटर नहीं है। आज तक नया इंटरप्रेटर अपॉइंट करने का हम ने प्रयत्न भी नहीं किया है।

श्री उपसभापति : प्रयत्न कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं।

श्री जयन्ती लाल बरोट : ऐसा नहीं है, अगर प्रयत्न होता तो इंटरप्रेटर मिल जाता, लेकिन उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया है।

श्री उपसभापति : कर रहे हैं।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, with respect to all the languages that are included in the Constitution, this provision should be made. Same thing is with Konkani. ...*(Interruptions)*... I gave notice for speaking ...*(Interruptions)*... There was no interpreter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have facilitated it for most of the languages. Sometimes, it is not available. ...*(Interruptions)*...

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश) : तेलुगु का ट्रांसलेशन नहीं है दो साल से, आप क्या कर रहे हैं? यह injustice हो रहा है ...**(व्यवधान)**... आखिर कारण क्या है, बताइए आप? तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए कैंडीडेट्स नहीं हैं?

श्री उपसभापति : सुनिए-सुनिए, तेलुगु, गुजराती जितने भी लेंग्वेज के इंटरप्रेटर्स की हम को जरूरत है, उन को हम ने एडवर्टाइज किया है, टेस्ट भी कंडक्ट किया है, लेकिन कांपिटेंट लोग नहीं मिले हैं। फिर और एडवर्टाइज कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री नंदी येल्लैया : सेलरी ठीक नहीं दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... उसके माफिक नहीं है, उस की सेलरी।

श्री विजय जे. दर्डा : गुजराती के लिए नहीं है, मराठी के लिए नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : ये सब एडवर्टाइज हुआ है।

श्री नंदी येल्लैया : दिल्ली में मिलना मुश्किल है।

श्री जयन्ती लाल बरोट : उसी स्टेट में एडवर्टाइज कीजिए तो वहां से आदमी आएगा, आप यहां करेंगे तो कैसे आएगा?

श्री उपसभापति : एडवर्टाइजमेंट ऑल इंडिया लेवल पर होता है।

श्री जयन्ती लाल बरोट : ऑल इंडिया लेवल पर यहां के न्यूज पेपर में होता है। ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे. दर्डा : सर, मराठी की एडवर्टाइजमेंट तमिल में हो रही थी, तमिल की एडवर्टाइजमेंट गुजराती में हो रही थी तो कैसे मिलेंगे लोग?

श्री उपसभापति : आप के अखबार में कराएंगे।

श्री विजय जे. दर्डा : थैंक्यू सर।

श्री जयन्ती लाल बरोट : माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया। मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारी केन्द्र सरकार के पास एक "गेल" या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दूसरा ओ0एन0जी0सी0 कमीशन था, उस को हम ने लिमिटेड कंपनी बना दिया। अब ये सब अथॉरिटीज काम कर रही हैं, फिर तीसरा बोर्ड बनाकर सरकार क्या फायदा लेना चाहती है, यह मुझे समझ नहीं आता है? मैं थोड़ा-बहुत समझ सकता हूं कि सरकार को अपनी वाह-वाही करने के लिए एक और एजेंसी चाहिए, इसलिए बोर्ड बनाकर सरकार और मंत्री की अपनी अच्छी जाहिरात न्यूज पेपर में आए, उस तरह इस का उपयोग करने के लिए यह बोर्ड बना रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं।

दूसरी बात, पेज 2 पैरा 2 में ओ0एन0जी0सी0 और "गेल" दोनों के लिए काम एक ही है और इस का भी काम यही है तो तीनों किस तरह काम करेंगे और किस क्षेत्र में काम करेंगे? उस के लिए कोई काम का बंटवारा या कोई गाइडलाइन फिक्स नहीं हुई है। क्या गेल और ओ0एन0जी0सी0 के ऊपर यह बोर्ड बनाया गया है, ऐसा कुछ क्लिअरेंस हो जाए तो ठीक रहेगा क्योंकि ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं? फिर तीसरा बोर्ड बनेगा तो यह कहां काम करेगा? अगर सरकार पर नियंत्रण डालने के लिए यह बोर्ड बनाया है तब ठीक बात है क्योंकि राज्यों की सरकारों में भी कहीं-कहीं गैस का कॉर्पोरेशन बनाया गया है और कहीं-कहीं खुदाई कर के गैस और ऑइल निकालने का प्रयत्न राज्यों में भी हो रहा है। गैस की पाइप लाइन डालकर वितरण का काम राज्यों में हो रहा है।

तीसरी बात, मैं मानता हूं कि जो अपॉइंटमेंट करने की बात हम ने लिखी है, उस में अपॉइंटमेंट्स ऑफिसियल कितने हैं और नॉन-ऑफिसियल कितने हैं, उस का कोई क्लीअरेंस नहीं है। उस की सर्च कमेटी बनाने के लिए 5 सेक्रेटरीज की नियुक्ति की बात तय की है, लेकिन

जिस की नियुक्ति होने वाली है, वह बोर्ड मेंबर के नाते नॉन-करप्ट है, उस का कैरेक्टर कैसा है, उस की कोई कम्प्लेंट्स हैं या नहीं हैं - उस की जानकारी के लिए अगर पुलिस की रिपोर्ट मंगवानी हो तो उस का पिछला रिकॉर्ड मंगवाकर, अगर तय हो सके तो अच्छा रहेगा। सर, मुझे मालूम है, लास्ट टाइम भी जब अपनी सरकार थी तब गैस व पेट्रोल पंप्स की एजेंसी वितरण में आर्थिक या राजकीय भ्रष्टाचार होते थे। उस के कारण ही एन0डी0ए0 सरकार ने बिल लाकर कंपनियों को स्वतंत्र बनाया जिस के कारण बीच में बैठने वाले जो बिचौलिए थे और जो करप्शन करते थे, वह बंद हो गया। यह एन0डी0ए0 सरकार का एक अच्छा प्रयत्न था। उस के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए क्या यह बोर्ड रखा गया है, इस से मुझे उस की जानकारी नहीं होती है।

तीसरी बात, मैं मानता हूं कि हम ने 65 साल की आयु की मर्यादा रखी है। मैं जानता हूँ कि अगर किसी की सेवानिवृति के बाद, उसके रिटायर होने के बाद हम उसको अप्वायंट करेंगे, तो जब किसी ऑफिसर के सेवानिवृत होने का समय होने को होगा, तो वह सरकार की चापलूसी करेगा। सरकार जो कहेगी, वह गलत काम करेगा। उसको सेवानिवृति के बाद अप्वायंटमेंट मिलेगा, इस लालच में वह गलत काम करेगा। मैं मानता हूँ कि सेवानिवृति होने के बाद अप्वायंटमेंट देने की बात छोड़ कर जो टेक्निकली एक्सपर्ट आदमी है, उसकी अप्वायंटमेंट करनी चाहिए। उसके लिए अच्छी तरह से एग्ज़ाम लेकर, बिल्कुल ऐसे आदमी चुने जाएँ, जो अपनी बोर्ड को अच्छी तरह चलाएँ। इसका व्यवहार इस तरह का हो कि नॉन-पार्शियलिटी से, बिना कोई पॉलिटिकल ग्रिवांसेज रखे, पूरे देश में सबको इसका फायदा मिले, ऐसा मैं आग्रह रखता हूँ।

महोदय, इस बोर्ड को अपील का अधिकार दिया गया है। मैं मानता हूँ कि जिस बोर्ड ने गलत हुक्म दिया है, उसके ऊपर अपील कहाँ की जाए? जो ऑर्डर करता है, अगर उसके सामने ही दूसरी बार अपील करेंगे, तो क्या वह अपील सुन कर उसको जस्टिफाई करेगा, उसको न्याय देगा? मैं मानता हूँ कि एक बार जो हुक्म हुआ, उसको जस्टिफाई करने में दिक्कत होती है, इसलिए अलग से कोई अपील अथॉरिटी होनी चाहिए। इसलिए सरकार की ओर से उसके ऊपर एपीलेट अथॉरिटी हो, ऐसा मेरा मानना है।

तीसरी बात मैं गेल और ओ0एन0जी0सी0 के बारे में बोलता हूँ। आजकल, हमारे गुजरात में मेहसाना में ओ0एन0जी0सी0 की एक बड़ी इकाई है। जितने भी उसके पास साधन हैं, चाहे वह जीप हो या कार हो, वे पूरे दिन जितना सरकार के काम में या बोर्ड के काम में आते थे, उससे ज्यादा तो ऑफिसर या कर्मचारी अपने खुद के उपयोग में लाते थे। हमारे पूरे महसाना में पचास परसेंट व्हीकल्स तो उसके ही घूमते थे। यह जो मिसयूज़ होता है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि गलत खर्चा, ज्यादा खर्चा और फोकट खर्चा करके ये लोग बोर्ड या कॉरपोरेशन को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरह सोचना चाहिए कि इसके ऊपर ज्यादा अच्छा कंट्रोल हो।

मैं चौथी बात यह कहता हूँ कि आजकल प्राइवेटाइजेशन जमाने में एक तरफ प्राइवेट कम्पनीज़ हैं और दूसरी तरफ सरकारी कम्पनी भी है। कभी-कभी हम देखते हैं कि सरकार की कम्पनी और प्राइवेट कम्पनी के काम में, सर्विस में अन्तर होता है। प्राइवेट कम्पनियों की सर्विस सरकारी कम्पनियों से अच्छी होती है। उसका वितरण या जो कुछ होता है, वह ठीक से होता है। जब हम कभी-कभी मोबाइल या फोन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राइवेट

कम्पनीज की सर्विस अच्छी होती है, लेकिन अपनी सरकार की कम्पनी की सर्विस में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह कम्पीटीशन के इस जमाने में प्राइवेट से भी अच्छा काम करें, उस तरह से उसको पूरा काम सेट हो जाए, ऐसा भी करना चाहिए।

एक और बात यह है कि स्व0 राजीव गांधी के जमाने में गुजरात में गैस पर आधारित एक पावर स्टेशन डालने के लिए तय हुआ था। उस दिन स्व0 राजीव गांधी ने बोला था कि हम गैस-आधारित पावर स्टेशन प्रारम्भ करेंगे। 2001 में एन0डी0ए0 की सरकार में पावर स्टेशन तैयार हो गया। उस टाइम भी उन्होंने लिखित जवाब दिया था कि हम आपको गैस देंगे। गैस देने की बात कहने के बाद पिछले साल, 2005 में हमारी सरकार ने बोल दिया कि बाजार में जिस रेट से गैस आएगी, उस रेट से आप गैस लीजिए और बिजली उत्पन्न करिए। मैं मानता हूँ कि स्व0 राजीव गांधी ने जो प्रॉमिस किया था, एन0डी0ए0 सरकार ने जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को रखने के लिए इस सरकार को भी गुजरात सरकार को गैस-आधारित पावर स्टेशन चलाने के लिए गैस देनी चाहिए। उस टाइम भी 0.25 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन आज उसके लिए भी सरकार सोच रही है या नहीं? इसलिए मेरी विनती है कि कम-से-कम स्व0 राजीव गांधी का प्रॉमिस तो यह यू0पी0ए0 सरकार मानेगी और यह माने, इसलिए मैं यह याद दिलाता हूँ।

महोदय, अगली बात मैं कह रहा हूँ कि जिस राज्य से गैस निकलती है, उस राज्य के लिए कोई-न-कोई कोटा तय कीजिए कि उस कोटे से उसी स्टेट के छोटे उद्योग वालों को या डेयरी उद्योग वालों को अथवा ग्रामीण यूज में या शहर में या गाँव में, घर में यूज करने के लिए गैस की उपलब्धि हो सके और उस स्टेट को गैस की प्रॉब्लम न हो। इसलिए जिस स्टेट में गैस पैदा होती है, निकलती है, उस स्टेट को वितरण में से गैस मिले, उसका प्रावधान करना चाहिए। जिस स्टेट से गैस निकलेगी, जिस स्टेट में ऑयल निकलेगा, उस स्टेट में आज नहीं तो कल भूकम्प आएगा और भूकम्प के कारण जो नुकसान होगा, उस नुकसान में मदद के लिए इसी बिल में कोई-न-कोई प्रावधान करना चाहिए, जिससे उस फंड में से उसी स्टेट में हुए नुकसान में हम राहत दे सकें। इसका प्रावधान भी करना चाहिए, ऐसी मेरी माँग है।

सर, यह जो केन्द्र की ओर से जिस तरह बोर्ड बना है, उससे मैं अपेक्षा रखूंगा कि यह जो एनटीपीसी है, जैसा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का है कि वह जो बिजली उत्पन्न करता है, उस बिजली में से हर स्टेट को कोटा दे दिया जाता है कि आपको इतने मेगावाट पावर देंगे, लेकिन अभी एक दो महीने पहले ही हमारे मंत्री जी ने जो गुजरात का कोटा था वह महाराष्ट्र को दे दिया। इस कारण से गुजरात को बड़ा नुकसान हुआ है।

श्री उपसभापति : यहां पर एनटीपीसी कहां से आ गया? एनटीपीसी इस मंत्रालय में नहीं आएगा। ...(व्यवधान)...

श्री अरुणभाई लाल करोड़ी : सर, एनटीपीसी केन्द्र का है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन केन्द्र का अपना ही है और इसमें मंत्री जी ने गुजरात का कोटा महाराष्ट्र को दे दिया, जिससे हजारों करोड़ का नुकसान गुजरात को हो रहा है।

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं। वह मैं मानता हूँ, मगर क्या यह पेट्रोलियम मिनिस्टर का विषय है? ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट : इसलिए मैं विनती करुंगा कि आप जो काम करें, उसमें हर राज्य को उसके अधिकार के नाते मिलना चाहिए और सरकार की ओर से सबको गैस और ऑयल मिले। यह जो गेल और ओएनजीसी के काम करने का है, इनके काम करने की अलग क्लीयरेन्स हो जाए। इतनी विनती के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shantaram Laxman Naik. आप चर्चा नहीं करेंगे। So, now, the hon. Minister to reply.

SHRI MURLI DEORA: Mr. Deputy Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you very much for not only allowing us to introduce this Bill, but also permitting me even after the presentation of the Bill to go out. I am very grateful to you for that. Sir, I am very thankful to the twelve Members who took part in this discussion, and I would like to reply as much as possible. But the reply will be so brief that you will not be satisfied and go away. So, I can only assure you that...*(Interruptions)*... On other questions, I will write. I have written every question raised here and everyone will receive reply within one week. ...*(Interruptions)*...

The basic objective of this Bill is to regulate refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing and sale of petroleum in the interest of the consumers. This is the first and the foremost objective of this Bill. The second one is to ensure uninterrupted and adequate supply of petroleum products and natural gas to all parts of the country. This has been raised by several people. And the third is, to promote competitive markets. Let there be no monopoly, but let more and more people come. If they compete, there will be better quality, less price and better service after the competition.

Sir, one issue which has been raised by almost every Member here is adulteration. I would like to tell you, what is the real reason of adulteration. Kerosene is put in diesel; and naphtha is put in petrol. Now, the price of PDS kerosene is Rs.9.05, nearly Rs.9. The price of diesel is Rs.37.57. It is four times. 9/-रुपए कैरोसिन का और 37/- रुपए डीजल का भाव है, नेफथा का भाव 25/-रुपए है, जबकि पेट्रोलियम का भाव 49.16 रुपए है, लगभग 50/-, यानी डबल है। जब दो पदार्थों के भाव में इतना फर्क हो, तो यह एडल्ट्रेशन होने का एकमात्र कारण होता है। हमने इसके लिए सुझाव किए हैं और नए नए सिस्टम निकाले हैं, जिससे कि कुछ हद तक एडल्ट्रेशन कम हुआ है, कुछ हद तक अभी नहीं हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ

कि कुछ हद तक एडल्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है, अभी भी चालू है, जिसमें हम सुधार की कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी कोशिश अभी यह की है, खासकर मुखर्जी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, कि पहले जब कोई व्यक्ति या कोई डीलर पकड़ा जाता था तो उसको फाइन करके छोड़ दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति पहली बार एडल्ट्रेशन में पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस भी कैन्सिल, उसका कांट्रेक्ट भी कैन्सिल कर देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI C. PERUMAL: Sir, there is no translation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Perumal, translation is going on.

श्री मुरली देवरा : आज हमारे देश में डीज़ल की क्वांटिटी कंज्यूम होती है 40 मिलियन मीट्रिक टन, कैरोसीन की 9.2 मिलियन मीट्रिक टन, पैट्रोल की 0.8 मिलियन टन, नेप्था की 11 मिलियन टन, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऑयल की कीमतें सारी दुनिया में इतनी बढ़ गई हैं कि हम क्या करें जिससे कि इतनी नहीं बढ़ें। मुझे खुशी है कि हमने जहां तक हो सका, जितनी जरूरत की चीजें हैं, उनकी कीमतों को नहीं बढ़ाया। मैं हमारे मित्र श्री चतुर्वेदी जी से क्षमा चाहता हूं, उन्होंने कहा कि डीजल और पैट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इंटरनेशनल मार्किट में पैट्रोल की कीमतें 142 परसैंट बढ़ीं तो हमारे यहां केवल 64 परसैंट बढ़ीं, जब कैरोसीन की कीमतें 206 परसैंट बढ़ीं तो हमारे यहां केवल एक परसैंट बढ़ी - 9 रुपए 10 पैसे, 20 पैसे या 5 पैसे के लगभग चल रही हैं और LPG की प्राइस जब 222 परसैंट बढ़ी तो यहां पर LPG की प्राइस सिर्फ 23 परसैंट बढ़ी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी नुकसान हो, लेकिन गरीब लोगों के ईंधन का भाव न बढ़े।

एक फिलॉस्फी के बारे में कहा गया कि यदि फूड के ऊपर 23,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र पर बहुत बड़ी सब्सिडी है, तो फ्यूल पर क्यों नहीं? कोई सब्सिडी के साथ अनाज लाएगा, लेकिन यदि उसको फ्यूल के साथ पकाएगा नहीं, गरम नहीं करेगा, बनाएगा नहीं, तो उस अनाज का कोई फायदा नहीं। मुझे खुशी है कि नीअरली 29,000 करोड़, ये ऑयल कम्पनीज़ अंडर रिकवरी चल रही हैं, यानी जितना रुपया उनको मिलना चाहिए था, उससे कम यदि उनको मिलेगा, तो 29,000 करोड़ के करीब उनको नुकसान हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस बजट में 11,500 करोड़ रुपए के ऑयल बॉंड्स की परमिशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में ऑयल कम्पनीज़ को जो घाटा हो रहा है और इसके कारण करीब-करीब दो कम्पनियां तो बंद होने के कगार पर हैं, उनको बहुत नुकसान हो गया है, उस घाटे को हम दूर करेंगे।

SHRI MURLI DEORA: The hon. Members, Shri Vijay J. Darda, and Shri R.P. Goenka, spoke about the composition of the Board, its authority and the Chairman's tenure. It is a good suggestion. We will consider it. There are other suggestions which have been made by the hon. Members, and I can assure you again that we will consider them also... ...*(Interruptions)*... I can't reply in this manner...*(Interruptions)*...

5.00 P.M.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, this is the maiden reply of the Minister. I request that he should not be interrupted.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I spoke for about 45 minutes on this Bill. He should, at least, reply to one or two points which have been made by me. He is only looking after the one point that has been raised by Mr. Vijay Darda, that is, taking Godavari gas to Gujarat. He should stop it. That is what I wanted.

श्री मुरली देवड़ा : सर, हमारे देश में ऑयल और गैस की कमी है और करीब 70 परसेंट से ज्यादा ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कृष्णा-गोदावरी का गैस आना शुरु होगा तो गैस की कमी नहीं रहेगी। बाड़मेर, राजस्थान में जब 'Shell' कम्पनी के लोगों ने कुआं खोदा तो वहां गैस नहीं निकली, बाद में एक नई कम्पनी 'टेन' वहां गई और अब बहुत ज्यादा गैस वहां निकली है। मुझे पूरी आशा है कि NELP, जो हमारी नई ऐक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, जो अभी शुरु होने जा रही है, उसके बाद हमको इसमें काफी फायदा होगा।

श्री पाणि जी ने इस बिल के बारे में कहा कि अमेरिकन्स को बेच दिया और न जाने क्या-क्या बातें कहीं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग भी वे बातें नहीं कहते, जो आपने कहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बिल आपकी एनडीए के समय में, NDA की गवर्नमेंट में ही लाया था और श्री राम नायक जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए मेहरबानी करके यह बात मत कहिए। लेकिन आपने उड़ीसा के बारे में जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा और जो आपने उड़ीसा के बारे में कहा, उसका हम आपको खुलासा करके बताएंगे। आपने जो उड़ीसा के बारे में कहा, उसका भी हम खुलासा करके आपको बताएंगे।

चौथा, मेरे साथी श्री विजय दर्डा जी, जो आजकल ऑयल एंड नेचुरल गैस के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो गए हैं, जब से मैं मंत्री बना हूं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: यह तो संगत का असर है।

श्री मुरली देवड़ा : उन्होंने चेयरमैन के बारे में जो कहा, यह बात सही है कि हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयूज़ के चेयरमैन की ताकत गवर्नमेंट डिफाइन करती है और मुझे पूरा भरोसा एवं पूरी आशा है कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब कि कोई चेयरमैन सुपर-चेयरमैन बन जाए। आपने इस प्रकार की कुछ बातें कहीं, इन बातों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन चेयरमैन के टेन्योर के बारे में आपका जो सुझाव है ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे. दर्डा : आप मेरी कौन सी बातों से सहमत नहीं हैं?

श्री उपसभापति : सुपर चेयरमैन हो जाएंगे वाली बात से।

श्री मुरली देवड़ा : आप जो भी बातें करते हैं, उनसे मैं सहमत हूं।

सर, सदन का और अधिक समय न लेते हुए इन्हीं सब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, just one minute. I want an assurance from the hon. Minister. The gas that has been struck in the Godavari basin should be supplied to the southern States also. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said that there was no shortage. ...*(Interruptions)*...

SHRI MURLI DEORA: Sir, I have said that there is no geographical boundaries for the gas. This is a natural resource which belongs to the entire country. So, there is no question of not supplying it to the south, north or east. It is supplied everywhere. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: But you are taking it to Gujarat. That is the complaint. ...*(Interruptions)*...

SHRI MURLI DEORA: I have said that it has to be supplied everywhere.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COMMERCE, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JAIRAM RAMESH): Sir, gas is going from Andhra Pradesh to U.P.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mukherjee, I will call you next. आप जरा ठहर जाइए, पहले श्री दर्डा जी कुछ पूछना चाहते हैं।

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, I have mentioned about the national gas transmission and distribution policy guidelines. The hon. Minister has not replied to that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said, "I will not be able to reply to all the questions which have been raised. I will write individually to the hon. Members". He has already assured that. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIJAY J. DARDA: Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHATRUGHAN SINHA (Bihar): It is his maiden speech as Minister. He has spoken well. He has spoken in Hindi, English and Sanskrit. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. You are complimenting him. ...*(Interruptions)*...

SHRI MURLI DEORA: Sir, I have been in the Parliament for the last 25 years. I am used to asking questions, but not replying.

श्री दीपांकर मुखर्जी : नहीं, सर। अब तो मुझे डर लग रहा है, श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी जिस तरह से गूंजती हुई आवाज़ में बोल रहे हैं, उनके बाद अब मेरी आवाज़ कहां तक पहुंचेगी? सर, मेरा केवल एक ही प्वाइंट था, you will answer individual queries. When I was speaking you were not there. But I still have some suggestions. I said that, in principle, some clauses, which were not there in the original Bill, had been added. The original Bill has been studied by the Standing Committee and that has come before the House. But certain clauses have been added. When I made my suggestions you were not there. I suggested that as far as those clauses were concerned, you would better refer it to the Standing Committee and it can come back within a month so that we can have a detailed analysis on those clauses. They are complex clauses. I have specifically mentioned three or four clauses like the common carrier business. Regarding the common carrier business certain things have been added. Similarly, regarding the Search Committee certain changes were made. Originally, the Search Committee was to be headed by the Cabinet Secretary. Now, you made a change that the Planning Commission Member in charge of energy would be the Chairman of the Search Committee. There is a big deviation from the normal policy that you followed. The original Bill envisaged that the Cabinet Secretary would head the Search Committee. That is now being replaced. Now, the Search Committee will be headed by the Planning Commission Member in charge of energy. This is something which is not normally done. It is an important question. You are constituting one of the biggest Regulatory Boards and the Search Committee will be headed by a Member of the Planning Commission. It is not being done through the Government mechanism. You are going to have a Member of the Planning Commission to head it. This is something new which you are doing. I think, you better have these issues analysed by the Standing Committee.

SHRI MURLI DEORA: Out of the 49 recommendations of the Standing Committee, 47 recommendations have been accepted.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You were not there. I have told you again that I know whatever has been accepted. But a number of clauses, which were not there in the original Bill, have been added. I have mentioned them clause-by-clause. They require some examination.

SHRI MURLI DEORA: Is it not enough that a Member of the Planning Commission be the Chairman?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You have changed it. It was to be headed by the Cabinet Secretary, as per the original Bill.

SHRI MURLI DEORA: It doesn't matter now.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: How can you make a Member of the Planning Commission or someone else as the Chairman of the Search Committee? Do you have any instance where a Member of the Planning Commission headed the Search Committee? You give an example. Which Search Committee is headed by a Member of the Planning Commission?

SHRI JAIRAM RAMESH: There are a lot of precedents where Search Committees have been headed by Members of the Planning commission. There are a lot of precedents on this. ...*(Interruptions)*... .

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: In what capacity?

SHRI MURLI DEORA: As Member of the Planning Commission he can head it. What is wrong in that? ...*(Interruptions)*... .

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: How? A Member of the Planning Commission is picked up by the Government, Cabinet Secretary is not picked up by the Government. That is an institutional position.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mukherjee, you have brought it to the notice of the Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The Government should reply to this point. It is his maiden Bill. I agree. But this is not a fair practice in Parliament. When you are adding some clauses -- he had been a very active Member of many of the Committees; he himself would not have accepted it -- if you are including new clauses, you give the Committee a chance to examine it clause-by-clause.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board to regulate the refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing and sale of petroleum, petroleum products and natural gas excluding production of crude oil and natural gas so as to protect the interests of consumers and entities engaged in specified activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas and to ensure uninterrupted and adequate supply of petroleum, petroleum products and natural gas in all parts of the country and to promote competitive markets and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause *consideration of the Bill.*

Clauses 2 to 23 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 24 there is one amendment (No. 3) by the Minister.

CLAUSE 24

Board to settle disputes

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move :

3. 'That at page 14, line 21, for the words "on or from", the words "on and from" be *substituted.*'

The question was put and the motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

Clause 25 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 26, there is one amendment (No. 4) by the hon. Minister.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

'That at page 15, line 8, for the figure "28", the figure "25" be *substituted*'.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

Clause 27 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 28, there is one amendment (No. 5) by the hon. Minister.

CLAUSE 28

Cvil penalty for contravention of directions given by the board

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

'That at page 15, line 40, for the word "restricted", the word "restrictive " be *substituted.*'

The question was put and the motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

Clauses 29 to 32 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 33, there is one amendment (No. 6) by the hon. Minister.

CLAUSE 33

Appeals to appellate tribunal

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

'That at page 17, line 9, for the words "by it", the words "by the Appellate Tribunal" be *substituted.*'

The question was put and the motion was adopted.

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

Clauses 34 to 45 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 46, there is one amendment (No. 7) by the hon. Minister.

CLAUSE 46

Punishment for unauthorised activities

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

'That at page 20, line 13, the words "as the case may be", be *deleted.*'

The question was put and the motion was adopted.

Clause 46, as amended, was added to the Bill.

Clauses 47 to 63 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 1, there is one amendment (No. 2) by the hon. Minister.

CLAUSE 1

Short title, extent, commencement and application

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

'That at page 1, line 5, for the figure "2005", the figure "2006", be *substituted.*'

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up the Enacting Formula. There is one amendment (No.1) by the hon. Minister.

Enacting Formula

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

That page 1, line 1, for the word "Fifty-sixth" the word "Fifty-seventh" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I move:

'That the Bill, as amended, be passed.'

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at eleven minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 3rd March, 2006